भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1403
दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तिरूपति जिले में जल जीवन मिशन का प्रसार और प्रभावकारिता

1403. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) तिरूपति जिले में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;
(ख) उक्त जिले की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल ऐसी बस्तियों का प्रतिशत कितना है जहां जल जीवन मिशन पूरी तरह से लागू किया गया है और पूरे राज्य में इस कवरेज की स्थिति क्या है;
(ग) सरकार द्वारा उक्त मिशन के भाग के रूप में जल प्रबंधन समितियों में सामुदायिक भागीदारी, विशेषकर महिलाओं की भागीदारी, सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इन कदमों का तिरुपति जिले में क्या प्रभाव पड़ा है; और
(घ) 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (पीसी/पीडी) के राष्ट्रीय लक्ष्य के आलोक में, तिरुपति जिले के विशेष संदर्भ में विगत पांच वर्षों के दौरान औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नल जल की उपलब्धता में राज्य-वार वृद्धि की प्रवृत्ति क्या रही है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में अर्थात् 55 एलपीसीडी, नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, अगस्त 2019 से, भारत सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों के साथ भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है। जल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति

की योजनाओं/कार्यों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जेजेएम के शुभारंभ के समय, आंध्र प्रदेश में, राज्य के 30.74 लाख ग्रामीण परिवारों (32.18%) के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 39.72 लाख परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और 09.02.2025 तक, राज्य के कुल 95.53 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 70.46 लाख (73.76%) परिवारों में नल जल कनेक्शन हैं, जिनमें क्रमशः 8.66 लाख एससी और 3.78 लाख एसटी परिवार शामिल हैं।

इसी तरह, जेजेएम के शुभारंभ के साथ, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में लगभग 2.40 लाख ग्रामीण परिवारों (57.58%) के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.76 लाख परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। दिनांक 09.02.2025 की स्थिति के अनुसार, जिले के कुल 4.17 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 4.16 लाख (99.82%) परिवारों में, क्रमशः 1.19 लाख एससी और 0.26 लाख एसटी परिवारों सहित, नल जल कनेक्शन हैं। इस विभाग द्वारा अन्य पिछडे वर्गों के आंकडे नहीं रखे जाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 09.02.2025 की स्थिति के अनुसार, तिरूपति जिले में कुल 4,018 बसावटें हैं, जिनमें से 487 बसावटें 'अनुसूचित जनजाति बहुल' और 1,331 बसावटें 'अनुसूचित जाति बहुल' के रूप में चिन्हित हैं। जिनमें से, 485 'अनुसूचित जनजाति-बहुल बसावटों' और 1,328 'अनुसूचित जाति-बहुल बसावटों' में 09.02.2025 तक कार्य परिपूर्ण हो चुका है।

सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देश में गांव में जल आपूर्ति प्रबंधन की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह आदि के गठन का प्रावधान किया गया है। इस समिति में आम तौर पर 10-15 सदस्य होते हैं, जिनमें 25% तक निर्वाचित पंचायत सदस्य, 50% महिलाएं और शेष 25% में से उनकी आबादी के अनुपात में कमजोर वर्गों (एससी/एसटी) के सदस्य शामिल होते हैं।

तिरुपति जिले में, 908 गांव हैं, जिनमें से 901 गांवों में वीडब्ल्यूएससी का गठन किया गया है। इससे ग्रामीण स्तर पर जल प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए राज्य-वार नल जल कनेक्शनों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1403 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान जेजेएम के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन (09/02/2025 तक)

#	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	दिनांक 15 अगस्त 2019 को नल कनेक्शन की संख्या	वित्तीय वर्षों के दौरान प्रदान किए गए नल कनेक्शन						दिनांक 10/02/25 तक प्रदान किए कुल नल
				2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	62,037	28,547	0	33,490	0	0	0	0	62,037
2	आंध्र प्रदेश	95,53,169	30,74,310	1,19,090	12,76,628	9,59,256	11,88,498	3,86,490	41,953	70,46,225
3	अरुणाचल प्रदेश	2,28,566	22,796	13,350	65,087	41,964	33,797	51,572	0	2,28,566
4	असम	72,25,389	1,11,311	48,826	5,07,217	16,52,387	8,74,641	22,95,421	3,86,102	58,75,905
5	बिहार	1,67,55,041	3,16,391	28,97,107	1,03,45,628	19,85,975	3,63,023	1,26,504	1,089	1,60,35,717
6	छत्तीसगढ़	50,03,522	3,19,741	95,804	1,50,926	4,45,107	10,80,547	18,04,922	1,23,794	40,20,841
7	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	85,156	0	0	24,592	60,564	0	0	0	85,156
8	गोवा	2,63,922	1,99,094	31,081	32,827	0	0	0	920	2,63,922
9	गुजरात	91,18,415	65,16,258	1,05,529	10,94,588	8,98,641	5,03,399	0	0	91,18,415
10	हरियाणा	30,41,314	17,66,363	1,35,217	7,91,155	3,48,579	0	0	0	30,41,314
11	हिमाचल प्रदेश	17,08,727	7,62,721	1,58,932	3,78,579	2,86,547	92,872	29,076	0	17,08,727
12	जम्मू एवं कश्मीर	19,23,514	5,75,466	2,07,295	2,15,579	57,890	39,861	3,47,425	1,11,949	15,55,465
13	झारखंड	62,55,717	3,45,165	95,284	2,99,731	4,18,618	8,76,785	11,92,958	1,90,559	34,19,100
14	कर्नाटक	1,01,32,148	24,51,220	21,446	3,43,077	18,70,487	20,56,621	9,23,031	7,66,346	84,32,228
15	केरल	70,79,554	16,64,091	85,476	4,04,464	6,63,874	5,29,487	3,66,937	1,26,253	38,40,582
16	लद्दाख	40,671	1,414	550	1,762	8,907	18,010	7,057	1,364	39,064
17	लक्षद्वीप	13,370	0	0	0	0	0	10,836	1,383	12,219
18	मध्य प्रदेश	1,11,88,550	13,53,151	4,19,152	19,86,546	10,89,412	8,90,863	11,30,228	6,58,563	75,27,915
19	महाराष्ट्र	1,46,80,627	48,43,832	5,44,596	37,08,868	10,65,501	8,21,630	15,16,996	4,58,248	1,29,59,671
20	मणिपुर	4,51,619	25,920	4,459	1,96,153	69,908	48,767	7,868	6,384	3,59,459
21	मेघालय	6,50,914	4,550	1,729	87,355	1,33,670	80,305	1,90,929	33,642	5,32,180
22	मिजोरम	1,33,060	9,201	15,878	33,790	21,493	30,213	22,485	0	1,33,060
23	नागालैंड	3,63,781	13,882	1,944	47,595	92,132	87,199	74,907	19,515	3,37,174
24	ओडिशा	88,69,536	3,10,866	4,36,585	15,47,352	17,47,458	12,22,183	12,06,463	3,07,256	67,78,163
25	पुदुचेरी	1,14,969	93,506	6,487	8,287	6,628	61	0	0	1,14,969
26	पंजाब	34,26,808	16,78,558	76,164	8,18,020	8,40,379	4,932	2	8,753	34,26,808
27	राजस्थान	1,07,77,074	11,74,131	1,02,169	6,80,883	5,38,030	13,88,472	12,17,862	8,65,127	59,66,674
28	सिक्किम	1,32,827	70,345	0	10,278	7,909	19,409	9,971	2,713	1,20,625
29	तमिलनाडु	1,25,28,183	21,76,071	16,741	16,13,190	14,89,972	26,52,454	23,05,376	8,17,430	1,10,71,234
30	तेलंगाना	53,98,219	15,68,301	20,18,118	18,00,543	0	11,257	0	0	53,98,219
31	त्रिपुरा	7,50,844	24,502	45,756	1,42,211	1,65,207	80,688	1,32,355	47,133	6,37,850
32	उत्तर प्रदेश	2,67,28,935	5,16,221	4,65,861	19,15,850	5,80,816	59,88,189	1,20,51,292	19,01,259	2,34,19,488
33	उत्तराखंड	14,50,635	1,30,325	86,793	4,32,301	2,74,958	2,14,873	2,25,370	46,042	14,10,662
34	पश्चिम बंगाल	1,75,56,704	2,14,588	4,720	12,47,860	23,30,522	20,76,714	22,91,726	13,99,407	95,65,537
कुल		**19,36,93,517**	**3,23,62,838**	**82,62,139**	**3,22,42,412**	**2,01,52,791**	**2,32,75,750**	**2,99,26,059**	**83,23,182**	**15,45,45,171**

डाटा स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस